

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र.1, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0771-4051036, फैक्स 0771-4051052 ई-मेल-eehndn_1@rediffmail.com

ज्ञाप क्रमांक 2860 / शिल्प / रा.रा.क्र.930
प्रति,

रायपुर, दिनांक 16/09/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भु-प्रबंध),
नोडल अधिकारी, (FCA-1980),
अरण्य भवन, रायपुर (छ.ग.)।

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.930 के किमी. 30.600 से 115.300 पुरुर-झलमला-बालोद-
कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण
एवं उन्नयन कार्य के अंतर्गत वन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पंजीयन हेतु।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.930 के किमी. 30.600 से
115.300 पुरुर-झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में पेव्ड
शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम 1980 के अंतर्गत
वनभूमि का प्रत्यवर्तन किया जाना है, जिसके अंतर्गत बालोद वनमंडल में 26.47131 हे. एवं
राजनांदगांव वनमंडल में 46.9548 हे. वनभूमि आती है। अतः कुल 73.42611 हे. वनभूमि का
प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु ऑन लाईन पंजीयन करने की कृपा करें।

सहपत्र : शून्य

पृ.क्र. 2861 / शिल्प / रा.रा.क्र.930
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वन वृत्त, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, लो.नि.वि., रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, लो.नि.वि., रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, रा.रा. अनुविभाग, लो.नि.वि. बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र : शून्य

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र.1
लो0नि0वि0 रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 16/09/2017